अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

303/13/अपील रेवता बनाम प्रभु

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	13/00069 श्री शौकत लाल गुर्जर श्री एन.के. जैन	
5.4.19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 हेतु पेश हुई । उक्त प्रार्थनापत्रों पर वकील प्रार्थी का कथन है कि मूल अपील दिनांक 11.10.2006 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में निरस्त कर दी गई थी इसके उपरांत प्रार्थी द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र सपठित धारा 5 मियाद अधि0 के साथ पेश किया एवं कथन किया कि दौराने विचाराधीन प्रकरण अपीलांट संख्या 3 पांचू पुत्र धन्ना का स्वर्गवास हो चुका है इस कारण उपशमन अपास्त किया जाकर वारिस को रिकार्ड पर लिया जावे एवं यह भी कथन किया कि दौराने विचाराधीन प्रकरण रेस्पो0 संख्या 3 बोदू पुत्र काना, रेस्पो0 संख्या 9 बीरमा पुत्र राजू, रेस्पो0 संख्या 17 छोटू पुत्र उगमा, रेस्पो0 संख्या 19 बालू पुत्र काना, रेस्पो0 संख्या 20 कम्मा पुत्र बोदू, रेस्पो0 संख्या 25 बोदू पुत्र बज्जा, रेस्पो0 संख्या 29 मंगला पुत्र माला, रेस्पो0 संख्या 30 पांचू पुत्र खींया, रेस्पो0 संख्या 32 नंगा पुत्र लादू, रेस्पो0 संख्या 34 लादू पुत्र बज्जा, रेस्पो0 संख्या 35 रमेशचंद पुत्र मोहनलाल का स्वर्गवास हो गया है इस कारण प्रार्थना पत्र में अंकित वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे । वकील अप्रार्थी/रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 जा0दी0 का पूर्व में लिखित में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है । प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उपरोक्त मृतक व्यक्तियों की मृत्यु की तारीख अंकित नही की है न ही कोई समयावधि बताई गई है एवं न ही कब से कब तक की अवधि को कण्डोन किया जाकर उपशमन को अपास्त किया जावे अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है जबकि विधि अनुसार कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना चाहिये एवं उपशमन अपास्त किये जाने हेतु 90 के अलावा 60 दिवस के भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था । उपरोक्त दिवस की गणना जब तक प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मृत्यु की तारीख नहीं बताई जावेगी तब तक किस प्रकार गणना की जा सकती है जबकि विधि अनुसार कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र में मृतक की मृत्यु की तारीख बताना अतिआवश्यक है एवं उपशमन अपास्त किये जाने हेतु निश्चित अवधि बताया जाना व सिद्ध किया जाना अतिआवश्यक है । प्रार्थी द्वारा अपने दोनों प्रार्थना पत्रों में मृतक की मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की गई है एवं स्वंय प्रार्थी की अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के अनुसार उपशमन को अपास्त किये जाने हेतु आदेश 22 नियम 9 के तहत भी प्रार्थना की गई है जो स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है । चूंकि अपील पूर्ण रूप से अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है एवं उपरोक्त अपील में मृतक आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित थे तथा बिना उपरोक्त पक्षकारान के वारिसान की मौजूदगी में प्रकरण आगे नहीं चल सकता है । इस कारण उपशमन के आधार पर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 20.6.2013 खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है । . . . . राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

303/13/बाल. रेवता बनाम प्रभु

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	13/00069 श्री शौकिनलाल पुर्ज श्री एन. के. जैन एडवो. प. अधि. 10	
लगातार	अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 दिनांक 20.6.2013 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 दिनांक 20.6.2013 को खारिज किया जाता है एवं उपशमन के आधार पर अपीलांट/प्राथी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	